प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला..... भ्र0 नि0 ब्यूरो, चौकी करौली, ...थाना.....प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ...2023....
प्र. इ. रि. स. ....249/23.................. दिनांक ....16/9/2023...........................
2. (अ) अधिनियम ....भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) ...धारायें...7.................
(ब) अधिनियम ....धारायें...
(स) अधिनियम ....धारायें...
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....326.......समय..........2:40pm
(ब) अपराध घटने का दिन–दि.–..................मंगलवार/15.09.2023/01:55 पी.एम..........................
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक .... समय. ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – .... **लिखित** ....
5. घटनास्थल :–..........................**रोडवेज बस स्टेण्ड हिण्डौन सिटी, जिला करौली**..................................
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – .....**बजानिब दिशा उत्तर, दूरी करीब 30 कि.मी.**........
(ब) पता – ....बीट सख्या ....जरायम देही सं.......................................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना.................जिला..........................
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम ....**श्री राजीव कुमार** ....
(ब) पिता /पति का नाम ....**श्री भगवान सिंह**...जाति ....**जाटव**....(स) जन्म तिथि/वर्ष.....33 **वर्ष** ....
(द) राष्ट्रीयता.........**भारतीय** ....
(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी................जारी होने की जगह...............................
(र) व्यवसाय...
(ल) पता......**निवासी बारोलिया फार्म हाउस के पीछे, खरेटा रोड़, हिण्डौन सिटी, जिला करौली**.......
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. **रामराज पुत्र स्व. श्री गंगासहाय, उम्र 28 वर्ष, जाति बैरवा, निवासी भीमपुर, पुलिस थाना टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी हाल कानिस्टेबल नं. 1392 पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन सिटी, जिला करौली** ....

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–..........**कोई नही**......................
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
....**10,000/–रूपये रिश्वत राशि** ....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).......
....**10,000/–रूपये रिश्वत राशि** ....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ....**नहीं**....................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)......................

सेवामें, श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो–करौली। विषयः–रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैं राजीव कुमार बारोलिया फार्म हाउस के पीछे खरेटा रोड हिण्डौन सिटी का रहने वाला हूं। मैंने पोलिटेक्निक कर रखी है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं। दिनांक 9/9/23 को शाम करीब 5 बजे मेरे घर पर पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन सिटी के रामराज सिपाही व राजेश सिपाही व दिनेश हैड साहब व एक अन्य पुलिस वाला आये व मेरे से कहा कि तू सटटे का काम करता है। तुझे थाने पर सीआई साहब बुला रहे है। हमारे साथ चलो और मुझे मोटरसाईकिल पर बिठाकर थाने ले गये और 4–5 घण्टे थाने पर बिठा कर रखा रामराज सिपाही व राजेश सिपाही ने सटटे का मुकदमा नहीं लगाने के लिये 30000/– रुपये मांगे और रुपयों की व्यवस्था करने के लिये छोड दिया दूसरे दिन रामराज सिपाही ने वाटसएप एप से फोन कर मुझे रुपये देने के लिये हॉस्पिटल बुलाया। रास्ते से मुझे पुलिस वाला मोटरसाईकिल पर बिठाकर थाने ले गया और कपडे खुलवाकर हवालात में बंद कर दिया। सूचना पर मेरे पापा व मेरे मामा के लडके दिनेश को साथ लेकर थाने आये। रामराज सिपाही ने मुझे हवालात से बाहर निकाला व रुपये मांगने लगा। मेने रुपयों की व्यवस्था होना नहीं बताया दोबारा हवालात में बंद करने लगे तो मैने मेरे मामा के लडके दिनेश से रामराज सिपाही व राजेश सिपाही को 10000/–रुपये दिलवाये। अब रामराज सिपाही व राजेश सिपाही मेरे से पूर्व में मांगे हुये रुपयों मे से शेष 20000/–रुपये की और मांग कर रहे है। रुपये नहीं देने पर सटटा का झूठा मुकदमा

लगाने की धमकी दे रहे है। मैं गरीब लडका हूं। मैं ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी हस्ता0 11/09/2023 राजीव कुमार S/0 भगवान सिंह, जाति जाटव, उम्र 33 वर्ष, निवासी बारोलिया फार्म हाउस के पीछे, हिण्डौन सिटी, जिला करौली Mob- 7597154289 हस्ता0 (दिनेश जाटव) 11/09/2023

कार्यवाही पुलिस
दिनांक 11.09.2023 समय 12:10 पी.एम. भ्र.नि.ब्यूरो चौकी करौली

प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री राजीव कुमार S/0 भगवान सिंह, जाति जाटव, उम्र 33 वर्ष, निवासी बारोलिया फार्म हाउस के पीछे, खरेटा रोड़, हिण्डौन सिटी, जिला करौली ने अपने मामा के लडके श्री दिनेश जाटव पुत्र श्री विजय कुमार उम्र 33 साल जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन सिटी जिला करौली के उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने बाबत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली के पदनाम से सम्बोधित कर मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक को पेश की। उपरोक्त लिखित रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुये परिवादी श्री राजीव कुमार से लिखित रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो रिपोर्ट स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताते हुए बताया कि दिनांक 9/9/23 को शाम करीब 5 बजे मेरे घर पर पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन सिटी के रामराज सिपाही व राजेश सिपाही व दिनेश हैड साहब व एक अन्य पुलिस वाला आये व मेरे से कहा कि तू सटटे का काम करता है। तुझे थाने पर सीआई साहब बुला रहे है। हमारे साथ चलो और मुझे मोटरसाईकिल पर बिठाकर थाने ले गये और 4-5 घण्टे थाने पर बिठा कर रखा रामराज सिपाही व राजेश सिपाही ने सटटे का मुकदमा नहीं लगाने के लिये 30000/-रुपये मांगे और रुपयों की व्यवस्था करने के लिये छोड दिया दूसरे दिन रामराज सिपाही ने व्हाटस एप से फोन कर मुझे रुपये देने के लिये मुझे हॉस्पिटल बुलाया। रास्ते से मुझे पुलिस वाला मोटरसाईकिल पर बिठाकर थाने ले गया और कपडे खुलवाकर हवालात में बंद की दिया। सूचना पर मेरे पापा व मेरे मामा के लडके दिनेश को साथ लेकर थाने आये। रामराज सिपाही ने मुझे हवालात से बाहर निकाला व रुपये मांगने लगा। मेने रुपयों की व्यवस्था होना नहीं बताया दोबारा हवालात में बंद करने लगे तो मैने मेरे मामा के लडके दिनेश से रामराज सिपाही व राजेश सिपाही को 10000/-रुपये दिलवाये। अब रामराज सिपाही व राजेश सिपाही मेरे से पूर्व में मांगे हुये रुपयों मे से शेष 20000/-रुपये की और मांग कर रहे है। रुपये नहीं देने पर सटटा का झूठा मुकदमा लगाने की धमकी दे रहे है। मैं गरीब लडका हूं। मैं ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मैने 1064 पर कॉल किया था जिस पर उन्होने मुझे आपके पास कार्यालय में पहुंचकर कार्यवाही कराने के लिए कहा था। परिवादी के साथ आये हुये लडके दिनेश जाटव से लिखित रिपोर्ट के सम्बन्ध में दरियाप्त की तो परिवादी के कथनों की ताईद की। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाने पर समय 12:50 पी.एम. पर कार्यालय की आलमारी से विभागीय वॉईस रिकार्डर (पैन ड्राईव नुमा) निकलवा कर परिवादी श्री राजीव कुमार व सहपरिवादी श्री दिनेश जाटव को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करने के लिए विभागीय वॉईस रिकार्डर को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाई गई। वॉईस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर श्री श्याम सिंह कानि. 599 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादीगण को आरोपीगण के पास भेजने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करें तथा रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता होने के बाद परिवादीगण के वापस आने पर वॉईस रिकार्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे तथा वापस कार्यालय में आकर पेश करें। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 01:10 पी.एम. पर श्री श्याम सिंह कानि. 599 को सरकारी मोटर साईकिल नं. RJ14-4230 व परिवादी श्री राजीव कुमार व सह परिवादी श्री दिनेश जाटव को स्वयं की निजि मोटर साईकिल से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के कहे अनुसार आरोपीगण के पास हिण्डौन सिटी के लिए बाद हिदायत रवाना किया गया जो समय 08:05 पी.एम. पर हाजिर कार्यालय आये व परिवादी ने पूछने पर बताया कि मैं और मेरे मामा का लड़का दिनेश अपनी मोटरसाईकिल से तथा आपका कर्मचारी श्री श्याम सिंह कानि. मोटर साईकिल से रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन सिटी के पहुंचे जहां श्री श्याम सिंह कानि. ने वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय

रिकार्ड कर मुझे दे दिया तो मैं वाईस रिकार्डर प्राप्त कर दिनेश के साथ पुलिस थाने के लिए रवाना हो गया व थाने में जाकर एक पुलिस वाले से रामराज सिपाही के बारे में पूछा तो उस पुलिस वाले ने उसके फोन से रामराज की मेरे से बात करवाई तो रामराज ने हमे खरेटा मोड़ पर बुलाया फिर हम वहा से रवाना होकर खरेटा मोड पर पहुंच गये आपका कर्मचारी हमारे–हमारे पीछे वही पास में आकर रूक गया। कुछ देर बाद रामराज सिपाही व दिनेश हैड साहब आये और हमसे बात करने लग गया मैने रामराज से रिश्वत के सम्बन्ध में बात की तो उसने मेरे से आज खुलकर रिश्वत के सम्बन्ध में बात नही की गोल–मोल बात कर रहा था और कह रहा था कि आज सी.आई. साहब नही है मेरी उनसे बात नही है, तू दो महिने काम कर तेरे पास दो महिने तक कोई नही आयेगा। जाते समय यह कहकर भी गया था कि बाद में देख लेगे। आज रामराज सिपाही व दिनेश हैड साहब ने हमारे कहने पर भी रूपयो की हां नही की है वो बात को काट कर चले गये। वह मेरे से किसी और दिन बात कर सकता है। उनके जाने के बाद मैं और मेरे मामा का लड़का वहां से आपके कर्मचारी के पास आ गया जिसने मेरे से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर रख लिया। फिर हम दोनो व श्याम सिंह कानि. खरेटा मोड हिण्डौन से रवाना होकर आपके कार्यालय में आये है। वाईस रिकार्डर आपके कर्मचारी के पास ही है। समय 08:20 पी.एम. पर श्री श्याम सिंह कानि. से परिवादीगण के सामने जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया गया। समय 08:35 पी.एम. पर परिवादी व सहपरिवादी के सामने वाईस रिर्काडर को लेपटॉप से अटैच करवाकर टेबल स्पीकर की सहायता से परिवादीगण व आरोपीगण के मध्य हुई रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी के कथनो की ताईद होना पाई गई। रिश्वत राशि के सम्बन्ध में केवल परिवादी द्वारा ही बात कही जा रही है लेकिन आरोपीगण द्वारा स्पष्ट बात नही कही गई है, आरोपीगण द्वारा भी रिश्वत की मांग नही की गई है बाद में देखेगे कहा गया है। रिकार्ड वार्ता में से रिश्वत मांग से सम्बन्धित वार्ता को पुनः सुना गया लेकिन रिश्वत राशि की मांग स्पष्ट नही है। ऐसी स्थिति में परिवादी की सहमति से वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को डिलीट किया गया एवं वाईस रिकार्डर में से मैमोरी कार्ड को निकालकर मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी ने बताया कि जिस दिन मेरे घर से पुलिस वाले ले गये तब मेरे भाई ने मोबाईल में उनका फोटो ले लिया था जिसका उनको पता लग गया व फोटो को उसी समय डिलीट करवा दिया था, हो सकता है ये पहले हमे देख रहे कि कही कोई शिकायत तो नही कर दी इसलिए सावधानी वरत रहे हो। इस पर परिवादीगण को आवश्यक हिदायत दी गई। परिवादी व सहपरिवादी को हिदायत दी गई कि जब भी आरोपीगण मे से कोई भी कर्मचारी रिश्वत लेने हेतु आपको बुलाये तो तुरन्त मन पुलिस निरीक्षक को सूचित करें। समय 09:40 पी.एम. पर परिवादीगण को बाद हिदायत रूकसत किया गया।

दिनांक 12.09.2023 को समय करीब 05:25 पी.एम. पर परिवादी श्री राजीव कुमार ने अपने मोबाईल नं. 7597154289 से कार्यालय के बेसिक टेलिफोन नं. 07464–251509 पर कॉल कर बताया कि मैं परिवादी राजीव कुमार हिण्डौन सिटी से बोल रहा हूं। रामराज सिपाही आज शाम को समय करीब 6–6:30 बजे मुझे रूपयो के सम्बन्ध में बात करने के लिए बुला रहा है। आप किसी कर्मचारी को वाईस रिकार्डर देकर हिण्डौन भेज दो, मैं हिण्डौन तहसील के पास रोड़ पर मोटर साईकिल लेकर मिल जाऊंगा। इस पर परिवादी को हिदायत दी गई कि आपके पास श्याम सिंह कानि. मय वाईस रिकार्डर के आ रहा है, आप वही पर मिलना। समय 05:30 पी.एम. पर कार्यालय की आलमारी से विभागीय वॉईस रिकार्डर (पैन ड्राईव नुमा) निकलवा कर श्री श्याम सिंह कानि. को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करने के लिए विभागीय वॉईस रिकार्डर को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाई गई। कल दिनांक 11.09.2023 को मालखाना में सुरक्षित रखे गये मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी से निकलवाकर वॉईस रिकार्डर में पुनः डालकर श्री श्याम सिंह कानि. 599 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी हिण्डौन तहसील के सामने मोटर साईकिल लेकर आपको मिल जायेगा। परिवादी को आरोपीगण के पास भेजने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय रिकार्ड कर सुपुर्द करें तथा रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता होने के बाद परिवादी के वापस आने पर वॉईस रिकार्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे तथा वापस कार्यालय में आकर पेश करें। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई और श्री श्याम सिंह कानि. 599 को सरकारी मोटर साईकिल नं. RJ14-4230 से रिश्वत मांग सत्यापन कराने हेतु परिवादी के कहे अनुसार हिण्डौन सिटी के लिए बाद हिदायत रवाना किया गया। समय 09:25 पी.एम. पर श्री श्याम सिंह कानि. मय परिवादी श्री राजीव कुमार व सहपरिवादी

दिनेश के हिण्डौन सिटी से उपस्थित कार्यालय आये व परिवादी ने पूछने पर बताया कि मैं आपको फोन करने के कुछ देर बाद दिनेश के साथ तहसील के पास रोड पर आकर खड़ा हो गया श्री श्याम सिंह जी मोटर साईकिल लेकर मेरे पास आये जिस पर मैने इनको कहा कि रामराज सिपाही वाट्सएप कॉल कर मिलने के लिए कोतवाली के पास गऊशाला पर बुला रहा है। इस पर इन्होने वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय रिकार्ड कर मुझे दे दिया। मैं और दिनेश मोटर साईकिल लेकर रवाना हो गये श्याम सिंह भी हमारे पीछे–पीछे कुछ दूरी बनाते हुए रवाना हुए, हम गीता टॉकीज के पास पानी की टंकी के पास पहुंच गये। मैने वाट्सएप कॉल कर रामराज सिपाही को बुलाया तो वह अकेला मोटर साईकिल लेकर आ गया। मैने उससे पूर्व में हुई बाते अनुसार रूपये के बारे में बात कर कहा कि आपने साहब 30,000 रूपये की कहा था आपको 10,000 रूपये दे दिये है शेष 20,000/–रूपये की मेरे पास व्यवस्था नही हुई है, आज तो हम 5000 रूपये लेकर आये है कल 15,000 रूपये आपको दे देंगे। इस पर रामराज सिपाही ने कहा कि मैने आपको 30,000 रूपये की नही कहा 20,000 रूपये की कहा था। तो मैने कहा कि साहब मैने तो 30,000 रूपये की सुना था। रामराज ने कहा कि आपको अब 10,000 रूपये और करने है आप बिल्कुल चिंता मत करो और अपना काम करो, आपको कोई परेशान नही करेगा। मैने कहा कि साहब मेरी भी इज्जत है साहब मुझे उस दिन थाने की हवालात में बन्द कर दिया, आपको 10,000 रूपये देने पर मुझे छोडा था। मेरे ऊपर कोई केस मुकदमा मत बनाना। रामराज ने कहा कि 18 दिन तो इस महिने में बच रहे है और अगला महिना है। इसक बाद आपको 6,000 रूपये महिने के हिसाब से देने पड़ेगे, जिनमें 5,000 रूपये सी.आई. साहब के और 1000 रूपये मेरे होगे। इसके बाद वह मोटर साईकिल लेकर चला गया। रामराज ने करीब 8–10 मिनट हमसे बात की है। हम वापस तहसील के पास वापस उसी स्थान पर आ गये और श्याम सिंह जी भी पीछे–पीछे आ गया। श्याम सिंह जी ने वाईस रिकार्डर लेकर बन्द कर अपने पास वापस रख लिया और मैने सभी बाते बताई। सहपरिवादी श्री दिनेश से पूछा तो परिवादी के कथनो की ताईद कर की। इसके बाद श्री श्याम सिंह कानि. ने पूछने पर बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना होकर तहसील के सामने रोड पर पहुंचा तो राजीव और दिनेश मुझे मोटर साईकिल लेकर मिल गये। मैने इनसे बात कर वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय रिकार्ड कर दे दिया और परिवादी व सहपरिवादी अपनी मोटर साईकिल से आरोपी के पास रवाना हुए तथा मैं भी उचित दूरी बनाते हुए इनके पीछे–पीछे रवाना हो गया। परिवादीगण एक पानी की टंकी के पास पहुंच गये मैं अपनी पहचान छिपाते हुए दूर खड़ा हो गया। परिवादीगण कुछ समय बाद मोटर साईकिल लेकर वापस आये जिनके पीछे–पीछे मैं भी मोटर साईकिल लेकर तहसील के पास आ गया जहां पर मैने राजीव कुमार से वाईस रिकार्डर लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया, और परिवादी ने पूछने पर रामराज सिपाही द्वारा 10,000 रूपये की रिश्वत की मांग कर रूपये देने के लिए कल बुलाया है। इसके बाद अधेरा हो जाने के हमने हिण्डौन में ही खाना खा लिया और रवाना होकर कार्यालय आये है। समय 09:35 पी.एम. पर श्री श्याम सिंह कानि. से वाईस रिकार्डर जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया गया। समय 09:40 पी.एम. पर वाईस रिकार्डर को गवाहान व परिवादी व सहपरिवादी की मौजुदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर (acer कम्पनी) से कनेक्ट कर रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता (33 मिनट 08 सैकेण्ड) की श्री केशव देव कानि. 600 से एक मुलजिम प्रति डी.वी.डी. (SONY कम्पनी) मार्क "A-1" व एक आई.ओ. प्रति डी.वी.डी. (SONY कम्पनी) मार्क "A-2" तैयार करवाई गई। दोनो डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपड़े की थैली में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। मैमोरी कार्ड न्यायालय प्रति मार्क "A" को रखने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली कपड़े की थैली पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कम्प्यूटर से कनेक्ट स्पीकर की मदद से गवाहान व परिवादी श्री राजीव कुमार व सहपरिवादी श्री दिनेश की मौजुदगी में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना जाकर परिवादीगण से रिकार्ड वार्ता की आवाज की पहचान करवाकर फर्द रूपान्तरण तैयार किया गया। दोनो डीवीडीयों को कपडे की थैली में शील्ड मोहर किया गया। वाईस रिकार्डर में से मैमोरी कार्ड (SanDisk) 8 GB को निकाल कर मैमोरी कार्ड को कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रख कर शील्ड मोहर किया गया। अब की कार्यवाही यथा परिवादीगण द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट, मजिद दरियाप्त व फर्द रूपान्तरण रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से आरोपी रामराज कानि. द्वारा परिवादी पर सट्टा का मुकदमा का नही

बनवाने की एवज में पूर्व में 10,000 रूपये प्राप्त कर पूर्व की मांग अनुसार शेष 10,000 रूपये सी.आई. के नाम पर परिवादी से मांग करना व आगे से 6000 रूपये मासिक बंधी की मांग करना पाया गया। पूर्व की रिश्वत मांग मे से शेष रहे 10,000 दिनांक 13.09.2023 को दिन में समय करीब 12:00 बजे देना तय हुआ। इसके बाद समय 11:55 पी.एम. पर अलग–अलग कपड़े की थैली में शील्ड शुदा एक मैमोरी कार्ड (SanDisk) न्यायालय प्रति मार्क "A" व एक DVD (SONY कम्पनी) मुल्जिम प्रति मार्क "A-1" को मालखाना प्रभारी श्री बृजेश कुमार कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी श्री राजीव कुमार ने बताया कि मेरे पास रामराज सिपाही को रिश्वत में देने हेतु 10,000 रूपयों की व्यवस्था है। रात्रि का समय होने कारण परिवादी व सहपरिवादी को कार्यालय में ही बाद हिदायत रोका गया।

दिनांक 13.09.2023 को 09:55 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान तलबी बाबत आयुक्त नगर परिषद करौली के पदनाम से पत्र क्रमांक 1105 दिनांक 13.09.2023 जारी कर गवाहान हमराह लाने हेतु श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. 277 को नगर परिषद करौली के लिए बाद हिदायत रवाना किया गया जो समय 11:15 ए.एम. पर नगर परिषद करौली के पत्र क्रमांक 2747 दिनांक 13.09.2023 द्वारा पाबन्द करवाये गये दो स्वतंत्र गवाह हमराह लेकर उपस्थित कार्यालय में आया। मन पुलिस निरीक्षक ने श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. के साथ आये दोनों स्वतंत्र गवाहान से उनका नाम पता पूछा तो उन्होनें ने अपने–अपने नाम क्रमशः श्री सन्दीप गोचर पुत्र श्री सत्यानारायण गोचर, जाति गुर्जर, उम्र 29 साल, निवासी मकान नं. 23, चंचल विहार, कुन्हाडी, पुलिस थाना कुन्हाडी, जिला कोटा हाल सहायक नगर नियोजक, कार्यालय नगर परिषद करौली व श्री राहुल सैन पुत्र स्व. श्री गंजानन्द सैन, जाति नाई, उम्र 23 साल निवासी प्रकाश बीडी वाले के सामने वाली गली, सीताबाड़ी करौली, पुलिस थाना कोतवाली करौली, जिला करौली हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय नगर परिषद करौली होना बताया। कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री राजीव कुमार व सहपरिवादी श्री दिनेश से उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट पढने को दी गई। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी एवं परिवादी द्वारा पेश शुदा रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रमाण स्वरूप अपने–अपने हस्ताक्षर किये एवं स्वतंत्र गवाहान को अब तक की कार्यवाही से अवगत कराया गया। समय 11:30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को स्वतंत्र गवाहान व सहपरिवादी के सामने परिवादी श्री राजीव कुमार S/0 भगवान सिंह, जाति जाटव, उम्र 33 वर्ष, निवासी बारोलिया फार्म हाउस के पीछे, खरेटा रोड़, हिण्डौन सिटी, जिला करौली ने मांगने पर आरोपी रामराज कानि. एवं अन्य, पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन सिटी, जिला करौली को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/–रूपये अपने पास से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	एक नोट 500 रूपये का	8 VC 486706
2.	एक नोट 500 रूपये का	5 QW 348215
3.	एक नोट 500 रूपये का	3 MA 977491
4.	एक नोट 500 रूपये का	0 LT 497784
5.	एक नोट 500 रूपये का	4 GW 930145
6.	एक नोट 500 रूपये का	6 RM 578606
7.	एक नोट 500 रूपये का	1 UG 645522
8.	एक नोट 500 रूपये का	1 MU 421265
9.	एक नोट 500 रूपये का	4 HB 820473
10.	एक नोट 500 रूपये का	5 TP 853050
11.	एक नोट 500 रूपये का	4 RH 027226
12.	एक नोट 500 रूपये का	0 SW 068314
13.	एक नोट 500 रूपये का	7 PD 758084
14.	एक नोट 500 रूपये का	7 GP 716596
15.	एक नोट 500 रूपये का	7 PH 029190
16.	एक नोट 500 रूपये का	9 HD 704092
17.	एक नोट 500 रूपये का	3 MF 662502

18.	एक नोट 500 रूपये का	6 ML 969090
19.	एक नोट 500 रूपये का	1 AQ 355263
20.	एक नोट 500 रूपये का	7 MN 520135

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक से एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 10,000/–रूपये के उपरोक्त नोटो पर भली–भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री राजीव कुमार की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सन्दीप गोचर सहायक नगर नियोजक से लिवाई गई तो पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नही मिली। इसके बाद श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 10,000/–रूपये के नोट परिवादी श्री राजीव कुमार के बदन पर पहनी हुई जीन्स पेन्ट की पीछे की दांयी तरफ के जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटों को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे तथा आरोपी उक्त नोटों को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने चश्मे ऊतार कर आखो को मसलने का ईशारा करे या मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल करें। इसके बाद दोनों गवाहों को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करें, इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री राहुल सैन कनिष्ठ सहायक से कार्यालय में से एक कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाह को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को बंद करवाकर श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक से वापस कार्यालय की आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह श्री राहुल सैन कनिष्ठ सहायक के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक से गिलास के धोवन को कार्यालय के अन्दर लैट बाथ में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को कार्यालय में रखवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, स्टील के कटोरो आदि को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा मन पुलिस निरीक्षक ने अपने–अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी श्री राजीव कुमार को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर (पैनड्राईव नुमा) को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर मालखाना से नया मैमोरी कार्ड (SanDisk 8 GB) निकलवाकर वाईस रिकार्डर में लगवाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई। समय 12:05 पी.एम. पर शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाये जाकर आपस में एक–दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई एवं विभागीय परिचय पत्र व मोबाईल को छोडकर कोई वस्तु नही पाई गई तथा परिवादी को बताये गये रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के बारे में बताया गया। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में बाद हिदायत छोडा जाकर परिवादी श्री राजीव कुमार व सहपरिवादी श्री दिनेश को परिवादी की मोटर साईकिल से, श्री श्याम सिंह कानि. व श्री कपिल सिंह कानि. को सरकारी मोटर साईकिल नं. RJ14 LB 4230 से, श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. 277 व श्री विष्णु सिंह कानि. 135 को गोपेन्द्र की स्वंय की निजी मोटर साईकिल से तथा मन जगदीश भारद्वाज पुलिस

निरीक्षक मय श्री बृजेश कुमार कानि. 461, श्री केशव देव कानि. 600, श्री राकेश सिंह कानि. 277 एवं स्वतंत्र गवाह श्री सन्दीप गोचर सहायक नगर नियोजक, स्वतंत्र गवाह श्री राहुल सैन कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन बोलेरो नं. RJ14 UE 0815 मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक 562 मय लेपटॉप–प्रिन्टर, ईयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणो के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हो समय 01:00 पी.एम. पर करौली–महवा वाईपास हिण्डौन पहुंचा हूं। परिवादी पर आरोपी के मोबाईल पर कॉल करवाया गया तो आरोपी कानि. द्वारा कॉल रिसीव नही किया। कुछ समय बाद परिवादी के मोबाईल पर वाट्सएप कॉल आने पर परिवादी ने वार्ता कर बताया कि मेरी अभी–अभी रामराज सिपाही से वाट्सएप कॉल पर वार्ता हुई है और उसने कहा है कि अभी मैं कही बाहर हूं बाद में बात करता हूं। परिवादी से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी द्वारा मिलने का समय व स्थान नही बताया है। परिवादी ने बताया कि रामराज सिपाही अब समय करीब 5:30 पी.एम. से 06:00 पी.एम. पर वाटसएप कॉल करेगा, तब तक इन्तजार करना पड़ेगा। अतः समस्त जाप्ता को हिदायत कर स्थान बदल–बदल कर मुकीम रहने के निर्देश दिये गये। मन पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री राजीव कुमार ने बताया कि करीब 05:36 पी.एम. पर रामराज सिपाही ने मेरे वाट्सएप पर कॉल कर बताया कि मैं 3 दिन के लिए बाहर हूं मैं किसी को खरेटा मोड पर भेजता हूं। परिवादी व सहपरिवादी को खरेटा मोड के आस–पास रहने की हिदायत की गई व श्री बृजेश कुमार कानि. व श्री श्याम सिंह कानि. एवं श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. व श्री विष्णु सिंह कानि. को परिवादी के आस–पास रहने की हिदायत कर मोटर साईकिलो के खरेटा मोड़ के आस–पास रहने की हिदायत दी गई। मन पुलिस निरीक्षक मय शेष जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के मनीराम पार्क के पास परिवादीगण से प्राप्त निर्धारित ईशारे की सूचना हेतु इन्तजार करने लगा, लेकिन परिवादी के पास कोई व्यक्ति रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु नही आने पर परिवादीगण को जाट की सराय स्थित पार्क/स्टेडियम के अन्दर बुलाकर समय 06:30 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल नं. 7597154289 के वाट्सएप से आरोपी रामराज कानि. के मोबाईल नं. 9785225539 के वाट्सएप पर लाऊड स्पीकर खोलकर कॉल करवाये गये जिनको वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया। उक्त वार्ता अनुसार आरोपी द्वारा किसी व्यक्ति को खरेटा रोड़ पर शीघ्र भेजना बता रहा है। जिस पर पूर्वानुसार परिवादी व सहपरिवादी एवं जाप्ता को खरेटा रोड़ पर परिवादीगण से उचित दूरी बनाते हुए तथा अपनी पहचान छुपाते हुए परिवादीगण पर नजर रखने एवं निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर शीघ्र सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। मन पुलिस निरीक्षक मय शेष जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के खरेटा मोड़ के पास बयाना रोड़ पर मुकिम हुआ। समय 7:30 पी.एम. पर काफी अंधेरा हो जाने के कारण परिवादी से निर्धारित ईशारा प्राप्त होने में परेशानी रहेने व आरोपी रामराज कानि. द्वारा भेजे जाने वाला व्यक्ति मय रिश्वत राशि के अंधेरा होना का फायदा उठा कर फरार होने की सम्भावना को मद्देनजर रखते हुए जाप्ता की मदद से परिवादीगण को खरेटा मोड के पास बयाना रोड़ पर पट्रोल पम्प के पास बुलवाया गया, जिस पर समय 07:40 पी.एम. पर परिवादीगण खरेटा मोड से आगे बयाना रोड़ पर पट्रोल पम्प के पास आये व स्वतंत्र गवाह श्री सन्दीप गोचर सहायक नगर नियोजक के मार्फत परिवादी श्री राजीव कुमार की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांयी जेब से फिनोफ्थलीन युक्त रिश्वत राशि 10,000/–रूपये को निकलवाकर एक कागज का लिफाफा बनवाकर स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाई गई तथा स्वतंत्र गवाह के साबुन पानी से हाथ साफ करवाये गये। इसी समय परिवादी के वाट्सएप पर आरोपी रामराज कानि. का कॉल आया तो लाऊड स्पीकर खुलवाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया। उक्त वार्ता अनुसार आरोपी 2–3 घंटे रूकने की कहने लगा तो परिवादी द्वारा आरोपी को बताया कि मामा का लड़का दिनेश 10,000 रूपये लेकर घर चला गया है और अब मुझे 10,000 रूपये 2 दिन बाद 15 तारीख को देगा। मैं आपको 15 तारीख को सुबह 10–11 बजे दे दूंगा। वाईस रिकार्डर परिवादी से बन्द हालत में प्राप्त कर सुरक्षित रखा गया। परिवादीगण ने बताया कि हम 2 दिन से बाहर है उसके मिलने वाले से वह हमारे बारे में पूछ सकता है, हमारा घर जाना बहुत जरूरी है। इस पर परिवादी व सहपरिवादी को बाद हिदायत रूकसत किया गया एवं आरोपी द्वारा सम्पर्क करने पर जरिये मोबाईल अवगत कराने के निर्देश दिये गये। समय 07:48 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी सदस्य व स्वतंत्र गवाहान मय रिश्वत राशि व लेपटॉप–प्रिन्टर, ईयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणो के निजी एवं सरकारी मोटर साईकिल तथा सरकारी बोलेरो के रवाना होकर समय 08:40 पी.एम. पर कार्यालय आये। स्वतंत्र गवाह श्री सन्दीप गोचर सहायक नगर नियोजक के पास सुरक्षित रखे कागज लिफाफा जिसमें रिश्वत राशि 10,000

रूपये रखी हुई है को निकलवाकर नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो नोटो के हू–ब–हूं होना पाये गये। उक्त रिश्वत राशि 10,000/–रूपयो को उक्त कागज के लिफाफा में पुनः रखवाकर श्री बृजेश कुमार कानि. 461 के मार्फत मालखाना में सुरक्षित रखवाये जाकर स्वतंत्र गवाह व श्री बृजेश कुमार कानि. के हाथ साबुन–पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये। वाईस रिकार्डर को मय मैमोरी कार्ड के मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। वाईस रिकार्डर में रिकार्ड मोबाईल वाट्सएप वार्ता की आईन्दा परिवादीगण की उपस्थिति में फर्द रूपान्तरण तैयार किया जावेगा। समय 08:50 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक निर्देश दिये जाकर रूकसत किया गया।

दिनांक 15.09.2023 समय 11:00 ए.एम. पर तलबिदा स्वतंत्र गवाहान श्री सन्दीप गोचर सहायक नगर नियोजक व श्री राहुल सैन कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये। समय 12:10 से पूर्व मन पुलिस निरीक्षक की परिवादी श्री राजीव कुमार के मोबाईल नं. 7597154289 पर वार्ता हुई तो परिवादी ने बताया कि रामराज सिपाही से मेरी वाट्सएप पर बात हुई है वह मुझे बला रहा है। मैने उसको आधे–एक घण्टा बाद मिलने की कह दिया है। इस पर परिवादी को हिण्डौन स्थित करौली–महवा वाईपास पर उपस्थित मिलने की आवश्यक हिदायत की गई। समय 12:15 पी.एम. पर दिनांक 13.09.2023 को कागज लिफाफा में मालखाना में रखी फिनोफ्थलीन युक्त रिश्वत राशि 10,000 रूपये को मालखाना प्रभारी श्री बृजेश कुमार कानि. से मालखाना से निकलवाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान से नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के हू–ब–हूं होना पाये गये। उक्त रिश्वत राशि 10,000/–रूपयो को उक्त कागज के लिफाफा में पुनः रखवाकर श्री सन्दीप गोचर सहायक नगर नियोजक के पास सुरक्षित रखवाई जाकर हाथ नहीं लगाने की हिदायत दी गई। दोनो स्वतंत्र गवाहान व श्री बृजेश कुमार कानि. के हाथ साबुन–पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये। वाईस रिकार्डर को मय मैमोरी कार्ड के मालखाना से निकलवाकर मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया। श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में बाद हिदायत छोडा जाकर समय 12:25 पी.एम. पर शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाये जाकर आपस में एक–दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई एवं विभागीय परिचय पत्र व मोबाईल को छोडकर कोई वस्तु नही पाई गई। श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. व श्याम सिंह कानि. को निजी मोटर साईकिल से, श्री केशव देव कानि. व विष्णु सिंह कानि. को निजी मोटर साईकिल से तथा मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री सन्दीप गोचर सहायक नगर नियोजक, स्वतंत्र गवाह श्री राहुल सैन कनिष्ठ सहायक, श्री बृजेश कुमार कानि, श्री राकेश सिंह कानि. व श्री कपिल सिंह कानि. मय सरकारी वाहन बोलेरो नं. RJ14 UE 0815 मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक मय लेपटॉप–प्रिन्टर, ईयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणो के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना समय 01:05 पी.एम. पर हिण्डौन स्थित करौली–महवा वाईपास पर पहुंचा जहां कुछ समय बाद परिवादी राजीव कुमार व सहपरिवादी श्री दिनेश जाटव मोटर साईकिल से मन पुलिस निरीक्षक के पास आये जिन्होने पूछने पर बताया कि रामराज सिपाही के मेरे मोबाईल पर लगातार वाट्सएप पर कॉल आ रहे है मैने उनको थोडी देर में मिलने की बताया है। मैं कुछ देर बाद रामराज सिपाही को हिण्डौन रोडवेज बस स्टेण्ड पर बुला लूंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। स्वतंत्र गवाह श्री सन्दीप गोचर सहायक नगर नियोजक के पास सुरक्षित रखी रिश्वत राशि 10,000/–रूपयो को उक्त कागज के लिफाफा में से निकलवाकर परिवादी श्री राजीव कुमार के पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांयी जेब में रखवाये गये व कागज लिफाफा को जलाकर नष्ट करवाया गया। स्वतंत्र गवाह के हाथ साबुन–पानी से साफ करवाये गये। वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाई जाकर हिदायत दी गई कि आरोपी के आने से पूर्व वाईस रिकार्डर चालू कर रिश्वत लेन–देन वार्ता को रिकार्ड करे व आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने पर अपने चश्मे उतार कर आंखो को मसल कर ईशारा करें। परिवादी व सहपरिवादी को निजी मोटर साईकिल से रोडवेज बस स्टेण्ड हिण्डौन सिटी के लिए बाद हिदायत रवाना कर ट्रेप पार्टी को परिवादीगण के पीछे–पीछे उचित दूरी बनाने हिदायत कर श्री श्याम सिंह कानि. व श्री बृजेश कानि. को मोटर साईकिल से, श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. व विष्णु सिंह कानि. को मोटर साईकिल से रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री सन्दीप गोचर सहायक नगर नियोजक, स्वतंत्र गवाह श्री राहुल सैन कनिष्ठ सहायक, श्री केशव देव कानि., श्री राकेश सिंह कानि. व श्री कपिल सिंह कानि. मय

सरकारी वाहन बोलेरो मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक मय लेपटॉप–प्रिन्टर, ईयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणो के रवाना होकर बस स्टेण्ड हिण्डौन सिटी पहुंचा। मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व शेष ट्रेप पार्टी सदस्यो को उतार कर स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता को बस स्टेण्ड पर परिवादीगण पर नजर बनाने की हिदायत की गई। परिवादी व सहपरिवादी बस स्टेण्ड पर बने हुए पुराने शौचालय के पास मोटर साईकिल को खड़ी कर खडे हो गये। समय 01:55 पी.एम. पर रोडवेज बस स्टेण्ड हिण्डौन सिटी पर बने हुये पुराने शौचालय के पास से परिवादी श्री राजीव कुमार ने सहपरिवादी श्री दिनेश जाटव व मोटर साईकिल पर बैठे हुये एक अन्य व्यक्ति के पास से निर्धारित इशारा किया जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों को इशारा कर अपने साथ लेकर पास ही खडे परिवादी के पास पहुंचकर वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा इतने में मोटरसाईकिल पर बैठा हुआ व्यक्ति जाने लगा जिसको रोका व स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी ने पूछने पर मोटर साईकिल पर बैठे व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया यही रामराज सिपाही है, इसने अभी–अभी 10,000/–रुपये मेरे से दांहिने हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दांयी जेब में बिना गिने रख लिये है। इस पर उक्त व्यक्ति को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उसका नाम पूछा तो रामराज कानिस्टेबल पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन सिटी होना बताया व गिडगिडाने लगा कि मैने इनसे कोई रुपये नहीं लिये है ये मेरे जानकार है, इन्होने कोई षडयंत्र रचकर मुझे यहां बुलाकर रुपये दिये है, कितने है मैने गिने नहीं, मैंने इनसे परिचित होने की वजह से रुपये ले लिये। मेरे पास इनका कोई काम नहीं है। आरोपी द्वारा परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि किसके कहने, किसके लिए ली गई है के बारे मे पूछा तो आरोपी द्वारा बताया की मैंने रुपये किसी के कहने पर नहीं लिये है, और नां किसी को देने के लिये है, राजीव व दिनेश ने यह रुपये मुझे फंसाने के लिये दिये है। आरोपी के हाथ में मिला मोबाईल जिसको प्राप्त कर साईलेन्ट कर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा गया। आरोपी ने पूछने पर मोटर साईकिल स्वंय की होना बताया जिस पर मोटरसाईकिल की चाबी श्री बृजेश कुमार कानिस्टेबल को सुपुर्द कर आवश्यक निर्देष दिये। मौके पर भीड एकत्रित होने लगी एवं घटना स्थल पर कार्यवाही हेतु उचित स्थान नहीं होने से आरोपी कानि. को जाप्ता की मदद से डिटेन कर सरकारी वाहन बोलेरो में बिठाकर समय 02.00 पी.एम पर पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन सिटी पहुंच ड्यूटी ऑफिसर श्री फतेहलाल हैड कानि. को अवगत कराया जाकर थानाधिकारी के बारे मे पूछा तो राजकार्य से जोधपुर जाना बताया। ड्यूटी ऑफिसर से कार्यवाही हेतु एक कमरा उपलब्ध कराने हेतु कहा जिस पर ड्यूटी आफिसर ने कार्यवाही हेतु थानाधिकारी कक्ष उपलब्ध कराया, इस पर आरोपी रामराज कानि. को थानाधिकारी कक्ष ले जाकर स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में आरोपी का पूरा नाम पता पूछा तो अपना नाम रामराज पुत्र स्व. गंगासहाय, उम्र 28 वर्ष, जाति बैरवा, निवासी भीमपुर, पुलिस थाना टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी हाल कानिस्टेबल नं. 1392 पुलिस थाना कोतवाली, हिण्डौन सिटी जिला करौली होना बताया। आरोपी कानि. से रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछताछ की तो पूर्व में बताई हुई बाते दोहराई। परिवादी ने पूछने पर बताया कि दिनांक 9/9/23 को पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन सिटी से रामराज सिपाही व अन्य पुलिस वाले मेरे घर पर आये व मेरे को मोटरसाईकिल पर बिठाकर थाने ले गये और रामराज सिपाही ने सटटे का मुकदमा नहीं लगाने के लिये 30000/–रुपये मांगे और रुपयों की व्यवस्था करने के लिये छोड दिया व दूसरे दिन थाने में हवालात में बंद कर दिया व 10000/–रुपये लेकर छोड दिया व शेष 20000/–रुपये की और मांग की गई, इस मैनें 1064 पर फोन किया और दिनांक 11.09.2023 को मैं और दिनेश आपके कार्यालय में पहुचकर रिपोर्ट पेश की। आप द्वारा उसी दिन सत्यापन करवाया गया लेकिन रिश्वत मांग नही होने पर। दिनांक 12.09.2023 को रामराज सिपाही ने मुझे वाट्सएप कॉल कर मिलने के लिए बुलाया जिस पर मैने आपके कार्यालय के फोन पर आपको बताया। आप द्वारा श्याम सिंह को मेरे बताये हुए स्थान पर रिकार्डर देकर मेरे पास भेजा। इस पर मैनें उस दिन रामराज से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में बात कर रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी। दिनांक 13.09.2023 को रामराज ने स्वंय को थाना से बाहर होना बताया। आज दिनांक 15.09.2023 को रामराज सिपाही ने मुझे वाट्सएप कॉल कर रुपये लेने के लिये बुलाया जिस पर मैंने कुछ देर बाद की कहकर आपको फोन कर दिया। मैं आपके बताये हुये स्थान हिण्डौन में महवा–करौली बाईपास पर आपको मिल गया। मैंने आपको बताया की रामराज सिपाही को मैं हिण्डौन बस स्टेण्ड पर बुला लूंगा। इस पर आपने मुझे पाउडर लगे हुये रुपये मेरी जेब में रखवाकर

बस स्टैण्ड हिण्डौन सिटी पर रवाना कर दिया और आप भी मेरे पीछे–पीछे बस स्टेण्ड पर आ गये। मैं बस स्टेण्ड पर पुराने शौचालय के पास खडा हो गया और मैंने रामराज को व्हाटसएप कॉल कर अपने पास बुला लिया। रामराज मोटर साईकिल लेकर मेरे पास आ गया और मेरे से बात कर रुपये मांगे जिस पर मैंने जेब से 10,000/–रुपये निकालकर रामराज को दे दिये। रामराज ने अपने दांये हाथ में रुपये लेकर बिना गिने अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दांयी जेब में रख लिये। मेरे से कहा कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं कोई शिकायत हो जाये। तू तेरा काम कर कोई दिक्कत नहीं आयेगी, सी.आई. लाईन हाजिर हो गया है। इस पर मैंने आपको इशारा कर दिया और इतने में आप टीम को लेकर आ गये। इनको पकड लिया और थाना पर आ गये। इसके पश्चात सरकारी वाहन बोलेरो में से ट्रेप वॉक्स मंगवाकर ट्रेप वॉक्स में से स्टील का कटोरा निकलवाकर स्वतंत्र गवाह राहुल सैन कनिष्ठ सहायक से स्टील के कटोरा को थानाधिकारी कक्ष में रखे हुए कैम्पर में से पानी निकलवाकर साफ धुलवाकर स्टील के कटोरा में साफ पानी भरवाकर ट्रेप वॉक्स में सोडियम कार्बोनेट का डिब्बा व चम्मच निकलवाकर स्टील के कटोरा में थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर पैन से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी रामराज कानि. के दाहिने हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात ट्रेप बॉक्स से दूसरा स्टील का कटोरा निकलवाकर पुनः स्वतंत्र गवाह राहुल सैन कनिष्ठ सहायक से पूर्वानुसार स्टील के कटोरा को पानी से साफ करवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी रामराज कानि. के बाये हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद आरोपी रामराज कानि. को परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि पेश करने की कहा तो आरोपी ने पहनी हुई पेन्ट की सामने की दांयी जेब से 500–500 रूपये की एक छोटी गड्डी मुडी हुई निकाली जिनको स्वतंत्र गवाह राहुल सैन कनिष्ठ सहायक से गिनवाया तो 500–500 रूपये 20 नोट कुल 10,000 रूपये होना बताया। इस पर उक्त रिश्वत राशि के नोटो के नम्बरो का मिलान कार्यालय में तैयार की गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरो से दोनो स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो नोटो के नम्बर हूबहू होना पाये गये, जिनका विवरण अंकित करवाया जाकर बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान व स्टील के दोनो कटोरा व चमच्च को अच्छी तरह साबुन–पानी से साफ करवाये गये। इसके पश्चात आरोपी रामराज कानि. को थाना स्टाफ से लोवर मंगवाकर पहनने को दिया गया एवं आरोपी कानि. ने अपनी पहनी हुई पेन्ट को उतारकर पेश किया जिसकी स्वतंत्र गवाह श्री संदीप गोचर सहायक नगर नियोजक से पेन्ट की दांयी जेब को छोडकर तलाशी लिवाई तो बांई जेब में एक रूमाल, पीछे की दांयी जेब में एक पर्स जिसमें विभागीय पहचान पत्र रामराज कानि 1392 जिला पुलिस करौली, आधार कार्ड रामराज बैरवा, वोटर आईडी रामराज, रोडवेज बस पास रामराज कानि का मिला, इसके अलावा पर्स में 5160/–रुपये के मिले, इसके अलावा अन्य कोई वस्तु या राशि व दस्तावेज नही मिले। पर्स में मिली राशि 5160/–रुपये के बारे मे पूछा तो बताया कि 3–4 दिन पहले घर से एक भैंस 60,000/–रुपये में बेची थी। कल दोपहर बाद ड्यूटी कर मैं गांव गया था और आज ही आया था, घर से बिजली फिंटिग का सामान लेने के लिए ये रूपये लेकर आया था। आरोपी के पर्स में मिले उक्त 5160/–रुपये के सम्बन्ध में जबाव प्रथम दृष्टया सन्तोषप्रद प्रतित होता है। फर्द गिरफ्तारी के समय उक्त राशि के सम्बन्ध में पृथक से पूछताछ की जावेगी। उक्त रूमाल व पर्स मय दस्तावेज व राशि के सुरक्षित रखा गया। इसके पश्चात स्टील के कटोरा को श्री श्याम सिंह कानि. से साफ पानी व साबुन से धुलवाकर स्टील के कटोरा में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया गया जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में आरोपी रामराज कानि. के पेन्ट की बांयी जेब को श्री श्याम सिंह

कानि. से उलटवाकर उक्त घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क PP-1 व PP-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। उक्त पेन्ट की बांयी जेब को जाप्ता निगरानी में धूप में सूखवाया जाकर बांयी जेब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर सील्ड मोहर करवाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। आरोपी से परिवादी के पैण्डिग कार्य के सम्बन्ध में पूछताछ की तो आरोपी कानि. द्वारा परिवादी को कोई कार्य पैण्डिग नही होना बताया। वाईस रिकार्डर को लेपटॉप से अटैच कर सुना गया तो आरोपी रामराज कानि. व परिवादीगण के बीच रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। वाईस रिकार्डर को मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया। वाईस रिकार्डर में रिकार्ड में रिश्वत लेन–देन वार्ता का कार्यालय में पहुंच पृथक से रूपान्तरण तैयार किया जावेगा। परिवादी व आरोपी से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन–देन शेष होने बाबत पूछा तो परिवादी व आरोपी ने स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। फर्द बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी कानि. से रिहायशी स्थान के बारे में पूछने पर बताया कि मैं पुलिस थाना में बैरक में अन्य स्टाफ के ही रहता हूं। बैरक में ही मेरी वर्दी व जूते आदि सामान रखे हुए है। बैरक को देखा तो परिवादी की पुलिस की वर्दी व जूते व चड्डी बनियान, टावल आदि रखे है व पास की अन्य पुलिस कर्मी की वर्दी आदि सामान रखे हुए है। आरोपी का अलग से कोई कमरा या क्वाटर नही है तथा परिवादी अभी अपने आप को गांव से आना बता रहा है। समय 04:08 पी.एम. पर आरोपी कानि. व ट्रेप बॉक्स को जाप्ता की निगरानी में पुलिस थाना में छोडा जाकर मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री सन्दीप गोचर सहायक नगर नियोजक, स्वतंत्र गवाह श्री राहुल सैन कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री राजीव कुमार व सहपरिवादी श्री दिनेश जाटव, श्री केशव देव कानि. मय सरकारी वाहन बोलेरो मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक के पुलिस थाना कोतवाली से घटना स्थल का नक्शा मौका हेतु रवाना होकर रोड़वेज बस स्टेण्ड हिण्डौन सिटी पहुंच, परिवादी व सहपरिवादी की निशादेही से स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया जाकर घटना स्थल से रवाना होकर समय 04:44 पी.एम. पर पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन सिटी पहुंचा। समय 05:10 पी.एम. पर आरोपी रामराज पुत्र स्व. गंगासहाय, उम्र 28 वर्ष, जाति बैरवा, निवासी भीमपुर, पुलिस थाना टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी हाल कानिस्टेबल नं. 1392 पुलिस थाना कोतवाली, हिण्डौन सिटी जिला करौली को जुर्म से आगाह कर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित वर्ष 2018) में लिप्त पाये जाने पर परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी रामराज कानिस्टेबल नं. 1392 पुलिस थाना कोतवाली, हिण्डौन सिटी जिला करौली का सेवा विवरण प्राप्त करने हेतु पृथक से तहरीर जारी कर कार्यालय श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला करौली को प्रेषित की गई। परिवादीगण व गिरफ्तार शुदा कानि. तथा ट्रेप बॉक्स को शेष जाप्ता की निगरानी में बाद हिदायत पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन सिटी में छोडा जाकर समय 05:50 पी.एम. पर मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री सन्दीप गोचर सहायक नगर नियोजक, स्वतंत्र गवाह श्री राहुल सैन कनिष्ठ सहायक, श्री केशव देव कानि., श्री विष्णु सिंह कानि. मय सरकारी वाहन बोलेरो मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक के पुलिस थाना कोतवाली से रवाना होकर 07:40 पी.एम. पर मय पुलिस थाना टोडाभीम का जाप्ता व महिला कानि. के आरोपी के निवास स्थान ग्राम भीमपुर, पुलिस थाना टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी पहुंचा जहां आरोपी के निवास स्थान की नियमानुसार खाना तलाशी जरिये फर्द ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 09:18 पी.एम. पर बाद खाना तलाशी के पुलिस थाना टोडाभीम के जाप्ता व महिला कानि. बाद हिदायत रूकसत कर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता मय सरकारी वाहन के आरोपी के निवास स्थान ग्राम भीमपुर से रवाना होकर समय 10:20 पी.एम. पर पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन सिटी पहुंचा व जाप्ता ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को पुलिस थाना के मैस से खाना खिलवा दिया गया। समय 10:25 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान व ड्यूटी ऑफीसर श्री फतेह लाल हैड कानि. 33, पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन सिटी, जिला करौली के समक्ष

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त रामराज कानिस्टेबल नं. 1392 पुलिस थाना कोतवाली, हिण्डौन सिटी जिला करौली की आवाज की पहचान हेतु पूर्व में दौराने ट्रेप कार्यवाही तैयार की गई DVD आई.ओ. प्रति मार्क A-2 जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है को लेपटॉप में लगाकर लेपटॉप से स्पीकर अटैच कर वार्ता को ड्यूटी ऑफीसर श्री फतेह लाल हैड कानि. 33, पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन सिटी, जिला करौली की उपस्थिति में सुना गया व रिकार्ड वार्ता में आवाजो की पहचान करवाई गई तो श्री फतेह लाल हैड कानि. द्वारा रिकार्ड वार्ता में से एक आवाज रामराज कानिस्टेबल नं. 1392 पुलिस थाना कोतवाली, हिण्डौन सिटी जिला करौली की जैसी होना बताया एवं आरोपी के अलावा अन्य व्यक्तियों की आवाज रिकार्ड है जिसको पहचाने से इंकार किया। दिनांक 13.09.2023 की वाट्सएप कॉलिंग वार्ता एवं आज दिनांक 15.09.2023 को दौराने रिश्वत लेन–देन वार्ता जो वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है, आवाज की पहचान हेतु वाईस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर स्पीकर की मदद से सुनाया गया तो श्री फतेह लाल हैड कानि. द्वारा वाट्सएप कॉलिंग रिकार्ड वार्ता एवं रिश्वत लेन–देन रिकार्ड वार्ता में एक आवाज आवाज रामराज कानिस्टेबल नं. 1392 पुलिस थाना कोतवाली, हिण्डौन सिटी जिला करौली की जैसी होना बताया एवं आरोपी के अलावा अन्य व्यक्तियों की आवाज रिकार्ड है जिसको पहचाने से इंकार किया। फर्द आवाज पहचान पृथक से मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 11:55 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही के स्वतंत्र गवाह श्री सन्दीप गोचर सहायक नगर नियोजक को दादी मां का स्वर्गवास हो जाने के कारण श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार बाद हिदायत रूकसत किया गया। उक्त स्वतंत्र गवाह के स्थान पर अन्य सरकारी कर्मचारी भिजवाने हेतु आयुक्त नगर परिषद को निवेदन किया जा चुका है, आयुक्त नगर परिषद द्वारा स्वतंत्र गवाह सन्दीप गोचर सहायक नगर नियोजक के स्थान पर अन्य कर्मचारी शीघ्र ही ए.सी.बी. कार्यालय में भिजवाना बताया है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व सहपरिवादी एवं ट्रेप पार्टी सदस्य व गिरफ्तार शुदा अभियुक्त रामराज कानि. 1392 मय बरामद शुदा नम्बरी रिश्वती राशि 10,000 रूपये वजप्त/शील्डशुदा शीशी मार्क RH–1, RH–2, LH–1, LH–2, PP–1, PP–2 व शील्ड पैकेट मार्क P व वजह सबूत के मय लेपटॉप, प्रिन्टर, एयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणों के बाद ट्रेप कार्यवाही सरकारी वाहन बोलेरो व मोटर साईकिलो के पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन सिटी से रवाना होकर दिनांक 16.09.2023 समय 12:40 ए.एम. पर कार्यालय पहुंच, ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्ड शुदा नम्बरी रिश्वत राशि 10,000/–रू., धोवन की शील्ड शीशीयां मार्क RH–1, RH–2, LH–1, LH–2, PP–1, PP–2 व शील्ड पैकेट मार्क P को मालखाना प्रभारी श्री बृजेश कुमार कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। समय 12:55 ए.एम. पर श्री श्यामसिंह कानि., श्री राकेश सिंह कानि. व श्री कपिल सिंह कानि. को गिरफ्तार शुदा अभियुक्त रामराज कानि. का स्वास्थ्य परीक्षण कराने तथा बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना कोतवाली करौली में बंद हवालात कराने हेतु पृथक–पृथक से ड्यूटी ऑफीसर जिला चिकित्सालय करौली व थानाधिकारी कोतवाली करौली के नाम तहरीर जारी कर मय वाहन सरकारी बोलरो मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक के जिला चिकित्सालय करौली व पुलिस थाना कोतवाली करौली के लिये रवाना किया गया जो समय 01:25 ए.एम. पर गिरफ्तार शुदा अभियुक्त रामराज कानि. का जिला चिकित्सालय करौली में स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण के पुलिस थाना कोतवाली करौली पहुंच अभियुक्त को बंद हवालात करवाया जाकर कोतवाली करौली से रवाना होकर हाजिर कार्यालय आये। समय 01:30 ए.एम. पर नगर परिषद करौली से स्वतंत्र गवाह सन्दीप गोचर सहायक नगर नियोजक के स्थान पर श्री निसार अहमद पुत्र स्व. श्री हकीमुद्दीन, उम्र 54 वर्ष, जाति पठान मुसलमान, निवासी होली खिड़कियां बाहर करौली, पुलिस थाना कोतवाली करौली जिला करौली हाल कनिष्ठ सहायक नगर परिषद करौली उपस्थित कार्यालय आया जिसको ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया। समय 02:00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर (पैन ड्राईव नुमा) को दोनो स्वतत्रं गवाहान एवं परिवादी व सहपरिवादी के समक्ष कार्यालय के विभागीय कम्प्यूटर (acer कम्पनी) से वाईस रिकार्डर को कनेक्ट करवा वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वाट्सएप कॉलिंग मोबाईल वार्ता दिनांक 13.09.2023 एवं रिश्वत लेन–देन वार्ता दिनांक 15.09.2023 की श्री केशव देव कानि. 600 से एक मुलजिम प्रति डी.वी.डी. (SONY कम्पनी) मार्क "B-1" व एक आई.ओ. प्रति डी.वी.डी. (SONY कम्पनी) मार्क "B-2" तैयार करवाई गई। दोनो डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपड़े की थैली में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। मैमोरी कार्ड न्यायालय प्रति मार्क

"B" को रखने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली कपड़े की थैली पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वाट्सएप कॉलिंग मोबाईल वार्ता दिनांक 13.09.2023 एवं रिश्वत लेन–देन वार्ता दिनांक 15.09.2023 को कम्प्यूटर से कनेक्ट स्पीकर की मदद से स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री राजीव कुमार व सहपरिवादी श्री दिनेश की मौजुदगी में सुना जाकर परिवादीगण से रिकार्ड वार्ताओ की आवाज की पहचान करवाकर फर्द रूपान्तरण तैयार किया गया। दोनो डीवीडीयों को कपडे की थैली में शील्ड मोहर किया गया। वाईस रिकार्डर में से मैमोरी कार्ड (SanDisk) 8 GB को निकाल कर मैमोरी कार्ड को कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रख कर शील्ड मोहर किया गया। समय 05:00 ए.एम. पर अलग–अलग कपड़े की थैली में शील्ड शुदा एक मैमोरी कार्ड (SanDisk) न्यायालय प्रति मार्क "B" व एक DVD (SONY कम्पनी) मुल्जिम प्रति मार्क "B-1"को मालखाना प्रभारी श्री बृजेश कुमार कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। समय 05:30 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सीलड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 27 को परिवादी व सहपरिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया एवं उक्त नष्ट शुदा शील को पृथक से एक कपड़े की थैली में रखवाकर सम्बन्धित हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की थैली पर मार्क "S" अकित किया जाकर कार्यालय की बिना नम्बरी सील से शील्ड मोहर किया गया। फर्द नष्ट नमूना पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई व उक्त पैकिट को पुथक से जमा मालखाना करवाया गया। समय 06:00 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान श्री राहुल सैन वरिष्ठ सहायक व निसार अहमद कनिष्ठ सहायक तथा परिवादी श्री राजीव कुमार व सहपरिवादी श्री दिनेश जाटव को बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही के रूकसत किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त रामराज कानिस्टेबल नं. 1392 पुलिस थाना कोतवाली, हिण्डौन सिटी जिला करौली द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से दिनांक 12.09.2023 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन पर परिवादी श्री राजीव कुमार व सहपरिवादी श्री दिनेश जाटव परिवादी पर सट्टा का मुकदमा का नही बनाने की एवज में पूर्व में 10,000 रूपये प्राप्त करना स्वीकारते हुए पूर्व की मांग अनुसार शेष 10,000 रूपये सी.आई. के नाम पर परिवादी से मांग करना व आगे से 6000 रूपये मासिक बंधी की मांग करना एवं उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक 15.09.2023 को स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया तो अभियुक्त रामराज कानि. ने रोडवेज बस स्टेण्ड हिण्डौन सिटी पर बने हुये पुराने शौचालय के पास परिवादी से मांग कर 10,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने पर आरोपी को डिटेन कर परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि किसके कहने, किसके लिए ली गई है के बारे मे पूछा तो आरोपी द्वारा बताया की मैंने रुपये किसी के कहने पर नहीं लिये है, और ना किसी को देने के लिये है, राजीव व दिनेश ने यह रुपये मुझे फंसाने के लिये दिये है। मौके पर भीड एकत्रित होने लगी एवं घटना स्थल पर कार्यवाही हेतु उचित स्थान नहीं होने से आरोपी कानि. को जाप्ता की मदद से डिटेन कर सरकारी वाहन बोलेरो से पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन सिटी पहुंच ड्यूटी ऑफिसर को अवगत करा थानाधिकारी कक्ष में हाथ धुलाई करवाई जाकर अभियुक्त की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दांयी जेब से रिश्वत राशि बरामद कर जप्त की गई। अभियुक्त रामराज कानि. को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास परिवादी का कोई कार्य पैण्डिग नही होना पाय गया। अतः अभियुक्त रामराज पुत्र स्व. श्री गंगासहाय, उम्र 28 वर्ष, जाति बैरवा, निवासी भीमपुर, पुलिस थाना टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी हाल कानिस्टेबल नं. 1392 पुलिस थाना कोतवाली, हिण्डौन सिटी जिला करौली का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(जगदीश भारद्वाज)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
करौली (राज.) 16/09/2023

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामराज पुत्र स्व0 श्री गंगासहाय, कानि0 1392, पुलिस थाना कोतवाली, हिण्डौन सिटी, जिला करौली के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 249/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

यो 16.9.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2785-88 दिनांक 16.09.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, करौली।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली।

यो 16.9.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।